# अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध

# Request for Expression of Interest (REOI)

## नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में नीलधारा के बाये तटबन्ध पर विकसित चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट (स्नान एवं मोक्ष घाट) परिसर के संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु धार्मिक रीति–रिवाजों के अधीन लीज के आधार पर संचालक संस्था के चयन के लिए अभिरूचि का आंमत्रण

अभिरूचि आं0सं0: 610/SPMG/Namami Gange/RFD दिनांक 01-08-2022

जारी करने की तिथि : 03/08/2022

अभिरूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की तिथि : 24/08/ 2022

# अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुरोध

## Request for Expression of Interest (REOI)

कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप (एसपीएमजी), नमामि गंगे, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड की ओर से नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में नीलधारा के बाये तटबन्ध पर विकसित चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट (स्नान एवं मोक्ष घाट) के संचालन व प्रबन्धन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु धार्मिक रीति–रिवाजो के अधीन लीज के आधार पर संचालक संस्था के चयन के लिए इस क्षेत्र में कार्यशील एवं अनुभवी संस्था/ट्रस्ट/एनजीओ/आश्रम/मल्टी नेशनल आर्गेनाईजेशन/शैक्षिक संस्थाएं/इन्डस्ट्रीज आदि से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST) आंमत्रित की जाती है। इस हेतु तैयार किये गये प्रस्ताव प्रपत्र को एसपीएमजी की वेबसाइट www.spmguttarakhand.uk.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर प्रस्ताव में निर्धारित प्रपत्रों के अनुरूप समस्त विवरण व सूचना सहित दिनांक 24/08/2022 के अपराह्न 15:00 बजे तक कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप (एसपीएमजी), नमामि गंगे, 117, इन्दिरा नगर, देहरादून–248006 (Program Director, State Program Management Group, Namami Gange, Uttarakhand, 117, Indira Nagar, Dehradun - 248006) के कार्यालय में जमा किया जायेगा। किसी भी अन्य सूचना व विवरण के लिए कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।


कार्यक्रम निदेशक,
राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप
नमामि गंगे, उत्तराखण्ड
**Tel : 0135-2769932 / 2763436,**
**Mob.- 7055001734**
**Email : spmgngrba.utk01@gmail.com**

**नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में नीलधारा के बाये तटबन्ध पर स्थित चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट (स्नान एवं मोक्ष घाट) परिसर के संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु धार्मिक रीति–रिवाजो के अधीन लीज के आधार पर संचालक संस्था के चयन के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति का प्रस्ताव प्रपत्र।**

1. **अभिरूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण –**

कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप (एसपीएमजी), नमामि गंगे, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्तराखण्ड की ओर से जनपद हरिद्वार में नीलधारा के बाये तटबन्ध पर स्थित चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट (स्नान एवं मोक्ष घाट) परिसर के संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु धार्मिक रीति–रिवाजो के अधीन लीज के आधार पर संचालक संस्था के चयन के लिए इस क्षेत्र में कार्यशील एवं अनुभवी संस्था/ट्रस्ट/एजेंसी/एनजीओ/आश्रम/मल्टी नेशनल आर्गेनाईजेशन/शैक्षिक संस्थाएं/इन्डस्ट्रीज आदि से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST) आंमत्रित की जाती है।

2. **प्रस्ताव की अनुसूची–**

| क्र.सं. | विवरण | तिथि एवं समय |
|---|---|---|
| 1 | अभिरूचि की अभिव्यक्ति के डाक्यूमेन्ट जारी करने की तिथि | 03/08/2022 |
| 2 | प्रस्ताव जमा करने की अन्तिम तिथि | 24/08/2022 upto 15.00Hrs |
| 3 | कार्यालय का पता | कार्यक्रम निदेशक, राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप (एसपीएमजी), नमामि गंगे, उत्तराखण्ड, 117, इन्दिरा नगर, देहरादून–248006 |
| 4 | ईमेल | spmgngrba.utk01@gmail.com |
| 5 | अभिरूचि की अभिव्यक्ति (REOI) के अभिलेख का शुल्क | रू0 2,000.00 मात्र (DD, Non refundable) |

3. **प्रस्तावकों हेतु आवश्यक निर्देश –**

- अभिरूचि की अभिव्यक्ति के प्रस्ताव को बड़े लिफाफे में **"हरिद्वार में चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट (स्नान एवं मोक्ष घाट) परिसर के लिए संचालक संस्था के चयन के लिए अभिरूचि का आंमत्रण"** पृष्ठांकित कर सीलबन्द कर जमा किया जायेगा।
- आवेदकों को इस प्रस्ताव में निहित आवश्यकताओं के अनुसार अपने प्रस्ताव जमा करने होंगे।

- एसपीएमजी को REOI में उल्लेखित सूचनाओं को अद्यतन करने एवं संशोधन करने का अधिकार है, जिसके अन्तर्गत प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय के साथ ही योग्यता प्रक्रिया भी सम्मिलित है। प्रस्तावक एसपीएमजी की वेबसाईट www.spmguttarakhand.uk.gov.in पर इस REOI से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के शुद्धिपत्र एवं तत्सम्बन्धी सूचनाओं के सम्बन्ध में प्रस्ताव जमा करने से पूर्व आवश्यक रुप से भलीभांति अवलोकन कर लें।
- अनुसूची में निर्धारित अन्तिम तिथि/समय के उपरान्त प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जायेंगे। समय सीमा के उपरान्त प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी भी अन्य सूचना व विवरण के लिए कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

**4. पृष्ठभूमि –**

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गंगा स्वच्छता एवं संरक्षण हेतु नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत पाँच गंगा बेसिन राज्यों में विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसके अर्न्तगत नदी में गिर रहे नालों से हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से इन नालों के प्रदूषित जल का इंटरसैप्शन एवं डाइवर्जन के द्वारा परिशोधन कर एवं सीवेज शोधन संयंत्र (एस.टी.पी.) का निर्माण कर गंगा की निर्मलता एवं संरक्षण बनाये रखने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जल प्रदूषण की रोकथाम के साथ–साथ जन सुविधा की दृष्टि से गंगा किनारे उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्नान घाट एवं मोक्ष गृहों का निर्माण किया गया है। स्नान घाटों पर शौचालयों का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि इससे गंगा में किसी भी प्रकार का प्रदूषण न हो एवं यात्रियों को भी स्नान की बेहत्तर सुविधा प्राप्त हो।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित स्नान एवं मोक्ष घाटों के प्रभावी उपयोग, सुचारू संचालन एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु "ADOPT A GHAT" कार्यक्रम आरम्भ किया है, जिसके अन्तर्गत इच्छुक संस्था/ट्रस्ट/एजेंसी/एनजीओ/आश्रम/मल्टी नेशनल आर्गेनाईजेशन/शैक्षिक संस्थाएं/ इन्डस्ट्रीज द्वारा घाटों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

उक्तानुसार उत्तराखण्ड राज्य में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट के प्रभावी उपयोग, सुचारू संचालन एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु REOI आमंत्रित किया जाता है।

5. **चण्डीघाट हरिद्वार में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित स्नान घाट परिसर के अवस्थापनागत विवरण –**

हरिद्वार में नीलधारा के बाये तट पर नजीबाबाद पुल के डाउनस्ट्रीम में नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत चण्डीघाट में आधुनिक स्नान घाट सम्बन्धी विभिन्न सुविधाओं को विकसित किया गया है, जिसके प्रमुख अवस्थापनागत विवरण निम्नवत् हैः–

| क्र.सं. | अवस्थापनागत | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | स्नान घाट | 627 मी0 लम्बाई, जिसकी चौडाई 70 से 170 मी0 तक है। कुल क्षेत्रफल 41872 मी0 07 चेंजिंग रूम, 17 पूजा की छतरी, 03 टायलेट ब्लॉक, 06 दुकानें । |
| 2 | मोक्ष धाम | 140 मी0 लम्बाई, 16 IWC, 13 पूजा की छतरी, ऑफिस, लॉकर रूम, प्रार्थना हॉल, लकड़ी की गोदाम, टायलेट। |
| 3 | क्लोरिनेटर (Chlorinator) | पानी साफ करने हेतु क्लोरिनेटर |
| 4 | Overhead Tank | 1 लाख लीटर क्षमता का Overhead Tank जिसकी ऊंचाई 12 मी0 है। |
| 5 | Sewerage Treatment Plant एवं Sewerage Network | 25 KLD क्षमता का सीवरेज शोधन संयंत्र एवं 1.5 किमी0 लम्बाई का पानी एवं सीवर नेटवर्क |
| 6 | Visitor Information Center | 01 कैफेटोरिया, 01 एस.पी.एम.जी. कार्यालय, 01 मीटिंग रूम, 01 Souvenir Shop, 03 टॉयलेट एवं 02 ऑफिस रूम। |
| 7 | Parking area in Crematoria ghat & Bathing Ghat | बस पार्किंग क्षेत्र – 1188 sq.mtr. (Cremation Ghat)<br>बस पार्किंग क्षेत्र – 2412 sq.mtr.(Bathing Ghat) |

6. **चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट (स्नान एवं मोक्ष घाट) परिसर के संचालन, प्रबंधन व अनुरक्षण संबंधी प्रस्तावित कार्यकलाप विवरण –**

जनपद हरिद्वार में नीलधारा के बाये तटबन्ध पर स्थित चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट (स्नान घाट) परिसर के संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु धार्मिक रीति–रिवाजो के अधीन लीज के आधार पर संचालक संस्था के चयन के लिए अभिरूचि का आंमत्रण किया जा रहा है। चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट परिसर के संचालन, प्रबंधन व अनुरक्षण संबंधी संचालक संस्था के मुख्य कार्यकलाप निम्नवत् होंगे :–

**A.** "ADOPT A GHAT" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक रूप से चयनित संचालक संस्था द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां (घाट के अनुसार लागू) की जानी वांछनीय हैः–

a) Cultural Programs
b) Health & Yoga (Yoga Shivir, Ganga Arti)
c) Socio-economic activities (seasonal/annual fairs)
d) Mini-emporiums (Haats)
e) Religious activities (pravachans, Satsangs, Katha watchan etc.)
f) Ganga Awareness activities (involving schools/colleges for public awareness related to Ganga, it's status in Indian context and issues related to it's cleanliness.
g) Women empowerment (Weekly haats for local handmade products/handicrafts) to empower local artisans and women artist. This will have an impact on tourism as well.
h) Reuse-Reduce-Recycle (Special camps/opportunities to generate wealth out of waste like flowers, diyas, etc.)

**B.** चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट परिसर में किसी भी समारोह/उत्सव आदि के संचालन हेतु सम्बन्धित शासन/प्राधिकारी/स्थानीय निकाय आदि से आवश्यक परमिट लाइसेंस आदि संचालक संस्था द्वारा अपने स्तर से स्वयं प्राप्त किये जायेंगे।

**C.** धार्मिक रीति रिवाजो के अनुसार परिसर का सुचारू रूप से क्रियान्वयन।

**D.** संचालक संस्था को चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट परिसर की अवस्थापनाओं, उपकरणों व संरचनाओं की सुरक्षा एवं व्यवस्था अपने स्तर से सुनिश्चित करनी होगी एवं घाट को किसी भी प्रकार की नुकसान की स्थिति में संचालक संस्था द्वारा हर्जाना एसपीएमजी को देय होगा।

**E.** संचालक संस्था को चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट परिसर की साफ–सफाई की व्यवस्था अपने स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी। स्नान घाट में चढाये जाने वाले फूल, माला आदि का समुचित निदान आवश्यक है जिस हेतु आवश्यक डस्टबिन आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की गन्दगी गंगा नदी में प्रवाहित न हो इसकी समुचित व्यवस्था संचालक संस्था की होगी।

**F.** परिसर में मांस, मदिरा, तम्बाकू गुटका आदि का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित है। संचालक संस्था यह सुनिश्चित करे कि यदि कोई भी व्यक्ति चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट परिसर में उक्त प्रकार के वर्जित वस्तुओ का सेवन करता हुआ पाया गया तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संचालन संस्था की होगी तथा इस स्थिति में जुर्माना संस्था द्वारा एसपीएमजी को देय होगा।

**G.** परिसर में विकसित अवस्थापनाओं के अतिरिक्त यथावश्यक फर्नीचर, पंखें, प्रकाश बिन्दु आदि व अन्य स्टॉफ की व्यवस्था परिसर संचालक संस्था को अपने स्तर से स्वयं किया जायेगा।

**H.** परिसर में लगाये गये हाईमास्ट लाइट की विद्युत व्यवस्था व बिल एवं उसके अतिरिक्त प्रकाश व अन्य बिद्युत बिन्दुओं, जो पहले से व्यवस्थित हैं या जिनकी स्थापना संचालक संस्था द्वारा की जायेगी तथा उनके विद्युत देयको का वहन संचालक संस्था को स्वंय करना होगा।

I. चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट के प्रबन्धन कार्य के आवंटित सैक्टर लेने के इच्छुक सम्बन्धित संस्था/व्यक्ति विशेष द्वारा निम्न तालिका के अनुसार कुछ मूलभूत सुविधाओं/आवश्यकताओं को स्थापित करना होगा, जो सभी घाटों हेतु एक समान रूप में निर्धारित मानकों के अनुरूप होगी। प्रति वर्ष के प्रबन्धन कार्य के आवंटित सैक्टर हेतु निम्नानुसार अनुसार स्टाफ होना अनिवार्य है :–

**स्नान घाट हेतु –**

| S.No. | Description | | Minimum Manpower required |
|---|---|---|---|
| 1 | Ghat Supervisor | | 1 |
| 2 | Guard cum Watchman | | 9 |
| 3 | Attendant | | 1 |
| 4 | Gardner | | 4 |
| 5 | Sweepers | Male | 9 |
| | | Female | 5 |
| 6 | STP Operator | | 1 |
| 7 | Plumber cum Water Supply Operator | | 1 |
| 8 | Electrician | | 1 |
| **Total Manpower Required** | | | **32** |

## 7. संचालक संस्था हेतु चयन प्रक्रिया –

विज्ञापित अभिरूचि की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत निर्धारित तिथि तक प्रस्ताव जमा करने वाली संस्था/ट्रस्ट/एजेंसी/एनजीओ/आश्रम/मल्टी नेशनल आर्गेनाईजेशन/शैक्षिक संस्थाएं/इन्डस्ट्रीज आदि को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर शार्टलिस्ट किया जायेगा। शार्टलिस्ट होने वाली संस्था/ट्रस्ट/एजेंसी/एनजीओ/आश्रम/मल्टी नेशनल आर्गेनाईजेशन/शैक्षिक संस्थाएं/इन्डस्ट्रीज को एस.पी.एम.जी. कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के परिक्षणोंपरान्त RFP प्रेषित किया जायेगा।

## 8. तकनीकी पात्रता मानक/योग्यतायें –

इच्छुक प्रस्तावकों से निम्नलिखित पात्रता योग्यताओं को पूर्ण करने की अपेक्षा की जाती है। प्रस्तावक यदि इन पात्रताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं या अपेक्षित अभिलेखों द्वारा साक्ष्यों को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो उनका प्रस्ताव अस्वीकार किया जायेगा। SPMG द्वारा वांछित सूचना और उसके समर्थन में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर प्रस्ताव का परीक्षण कर शार्टलिस्ट होने वाली संस्था/ट्रस्ट/एजेंसी/एनजीओ/आश्रम/मल्टी नेशनल आर्गेनाईजेशन/शैक्षिक संस्थाएं/इन्डस्ट्रीज को ही RFP प्रेषित किया जायेगा।

| क्र. सं. | शार्टलिस्ट हेतु पात्रता मानक | अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्तावक संस्था/ट्रस्ट/एजेंसी/एनजीओ/आश्रम/मल्टी नेशनल आर्गेनाईजेशन/शैक्षिक संस्थाएं/इन्डस्ट्रीज आदि के रूप में गत पांच वर्षों (05 वर्ष) से पंजीकृत हों, तथा भारत में संचालित हो। प्रस्तावक को तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। | रजिस्टेशन प्रमाण पत्र की प्रति |
| 2 | प्रस्तावक का वित्तीय वर्ष 2020–21(कोविड –19 के कारण) को छोड़कर पिछले 03 वित्तीय वर्षों में फर्म का न्यूनतम वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) रु. 2.00 करोड़ होना चाहिए। (वित्तीय वर्ष 2018–19, वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22) | ऑडिटेड बैलेंस शीट एवं सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्नओवर सर्टिफिकेट की प्रति |
| 3 | प्रस्तावक का कार्यालय भारत के किसी भी शहर में होना चाहिए। | अधिकृत हस्ताक्षरी से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र (लैटरहेड पर) |

नोट– शार्टलिस्ट की गयी संस्थाओं के प्रस्तुतीकरण व विचार–विमर्श : शार्टलिस्ट की गई संस्थाओ को पृथक से सूचित किया जायेगा एवं चयन हेतु अन्य नियम और शर्ते आर.एफ. पी. में उल्लेखित की जायेंगी।

9. <u>अन्य नियम और लीज अनुबन्ध की शर्ते –</u>

चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट परिसर के संचालन, प्रबंधन एवं अनुरक्षण संबंधी कार्य 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु लीज़ अनुबंध संबंधी मुख्य शर्ते निम्नवत् होंगी:–

1. चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट के घाटों के रख–रखाव, साफ–सफाई, सौन्दर्यीकरण आदि के प्रबन्धन हेतु प्राथमिक रूप से एक वर्ष के लिए लीज अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा। सम्बन्धित प्रबन्धन संस्था का कार्य सन्तोषजनक होने की दशा में ही आगामी वर्ष/वर्षो हेतु नवीनीकरण किया जायेगा।
2. अगले वर्ष के लिए नवीनीकरण करने हेतु संचालक संस्था को नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राथमिक एक वर्ष की समाप्ति से 01 माह पूर्व तक प्रस्तुत करना होगा। एस.पी.एम.जी द्वारा गठित समिति का अनुमोदन होने पर ही उक्त घाट के नवीनीकरण सम्बन्धित समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण करनी होगीं।
3. रिवर फ्रन्ट परिसर के प्रबन्धन कार्य के आवंटन एवं नवीनीकरण करने की कार्यवाही गठित समिति द्वारा की जायेगी।
4. रिवर फ्रन्ट परिसर के प्रबन्धन कार्य हेतु आवंटित सैक्टर पर साफ–सफाई, सौन्दर्यकरण तथा रख–रखाव की व्यवस्था की जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्थान को ही

करनी होगी। यह किसी भी रूप में स्वामित्व अथवा घाट का आवंटन नहीं माना जायेगा।

5. रिवर फ्रन्ट परिसर के प्रबन्धन कार्य हेतु आवंटित सैक्टर पर यदि किसी प्रकार का मरम्मत का कार्य कराया जाना आवश्यक होगा, तो कार्यक्रम निदेशक, एस.पी.एम.जी. की लिखित अनुमति के उपरान्त ही उक्त कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

6. घाटों पर तैनात कार्मिकों का मानदेय श्रमिक कानून के पूर्णतः पालन करते हुए संचालक संस्था द्वारा देय होगा।

7. उपरोक्त वर्णित मूलभूत आवश्यकताओं/सुविधाओं के अतिरिक्त यदि कोई संस्था/व्यक्ति विशेष कोई गंगा घाट के संरक्षण हेतु किसी भी प्रकार का व्यय करना चाहता हैं तो एस.पी.एम.जी. द्वारा गठित मूल्याकंन एवं अनुश्रंवण समिति से उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। चयनित संस्था द्वारा किसी भी प्रकार की Cultural Activities, Fair आदि आयोजन से पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

8. मूल्याकंन एवं अनुश्रंवण समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि उक्त गंगा घाट पर किये जाने वाले कार्यों में किसी भी सरकारी/गैर सरकारी योजना में कराये जाने वाले कार्यों की पुनर्रावृत्ति कदापि न होने पाये।

9. प्रबन्धन कार्य हेतु आवंटित सैक्टर पूर्ण रूप से सार्वजनिक होगें, जिन पर कोई भी कभी भी आवागमन कर सकता है। जनसामान्य के आने–जाने पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं होगा और न ही किसी से कोई शुल्क लिया जायेगा।

10. रिवर फ्रन्ट परिसर पर कार्मिकों की तैनाती से पूर्व उनका पूर्ण विवरण पुलिस विभाग को देना होगा।

11. रिवर फ्रन्ट परिसर का वर्तमान में रखरखाव एस.पी.एम.जी. कार्यालय एवं वैप्कॉस लि0(कार्यदायी संस्था) के परिवेक्षण में किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया में अर्ह पाये गये संस्था द्वारा रिवर फ्रन्ट परिसर का रखरखाव अपने स्वंय के वित्तीय संसाधनों द्वारा किया जायेगा एवं संस्था का परिसर पर किसी भी प्रकार का स्वामित्व/मालिकाना दावा नहीं होगा।

12. संस्था/व्यक्ति विशेष द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि रिवर फ्रन्ट परिसर पर पॉलीथीन का प्रयोग, धूम्रपान, गुटका, मांस–मंदिरा एवं किसी भी प्रकार की नशा सम्बन्धित गतिविधियां संचालित न हो।

13. संस्था/व्यक्ति विशेष द्वारा यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि रिवर फ्रन्ट परिसर पर अधार्मिक, गैरकानूनी एवं प्रतिबंधित गतिविधियां संचालित न हो।

14. रिवर फ्रन्ट परिसर पर तैनात कर्मचारियों की वर्दी पर नमामि गंगे Logo होना अनिवार्य है।

15. प्रबन्धन हेतु प्रत्येक आवंटित सैक्टर पर एक सुझाव पंजिका रखी जायेगी, जिसमें कोई भी अपने सुझाव/शिकायत दर्ज कर सकता है। उक्त सुझाव/शिकायत को

मूल्यांकन एवं अनुश्रंवण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिस पर मूल्यांकन एवं अनुश्रंवण समिति तद्नुसार कार्यवाही करेगी।

16. संस्था/व्यक्ति विशेष द्वारा किसी भी महामारी के संम्बन्ध में मा0 न्यायालयों, मा0 एन0जी0टी0, शासन एवं प्रशासन द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों का पूर्णतः पालन करना/कराना होगा।

17. रिवर फ्रन्ट परिसर के प्रबन्धन कार्यों हेतु दिये गये आवंटित सैक्टर को निरस्त करने का अधिकार राज्य परियोजना प्रबन्धन ग्रुप, नमामि गंगे उत्तराखण्ड को होगा।

18. अनुबंध हस्ताक्षर होने के पश्चात रिवर फ्रन्ट परिसर आदि को किसी भी प्रकार से सब लीज़ करने का संचालक संस्था को कोई अधिकार नही है।

19. इस REOI का मूल उद्देश्य केवल चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट के संचालन हेतु योग्य संस्था/ट्रस्ट/एजेंसी/एनजीओ/आश्रम/मल्टी नेशनल आर्गेनाईजेशन/शैक्षिक संस्थाएं/इन्डस्ट्रीज द्वारा अभिरूचि का आमंत्रण प्रस्ताव प्राप्त करना है। कार्यक्रम निदेशक, एस.पी.एम.जी., नमामि गंगे को किसी भी समय REOI प्रक्रिया को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार है।

अनुलग्नकः–1

## आर.ई.ओ.आई. हेतु तकनीकी अर्हता प्रस्ताव

**नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में नीलधारा के बाये तटबन्ध पर स्थित चण्डीघाट रिवर फ्रन्ट परिसर के संचालन, प्रबन्धन एवं अनुरक्षण गतिविधियों के कियान्वयन हेतु धार्मिक रीति–रिवाजो के अधीन लीज के आधार पर संचालक संस्था के चयन के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति का तकनीकी अर्हता प्रस्ताव प्रपत्र–**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | प्रस्तावक का नामः<br>(पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करे) | |
| 2 | संस्था/ट्रस्ट/एजेंसी/एनजीओ/आश्रम/मल्टी नेशनल आर्गेनाईजेशन/शैक्षिक संस्थाएं/इन्डस्ट्रीज के प्रोपराइटर/डायरेक्टर का नामः | |
| 3 | पंजीकृत कार्यालय का पूर्ण पताः<br>टेलीफोन/फैक्स संख्याः<br>ई–मेलः<br>मोबाइलः<br>ब्रांच आफिसः | |

**घोषणाः**

मै.............................. पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.......................... उपरोक्त समस्त विवरण व प्रपत्रो के हस्ताक्षर हेतु सक्षम हूं। मेरे द्वारा इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं मै इन्हे स्वीकार करने हेतु बाध्य हूँ।

दिनांक

स्थानः

हस्ताक्षर

नामः

पद :(मोहर)

ई–मेल :

अनुलग्नक:–2

## प्रस्तावक की वित्तीय क्षमता का विवरण

| क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष ........................ | वित्तीय वर्ष ........................ | वित्तीय वर्ष ........................ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रस्तावक का वार्षिक Turnover (रुपए में) | | | |
| | | | | |
| | 3 वर्ष का औसत Turnover | | | |

नोट –

उपरोक्त वित्तीय वर्षों के लिए C.A द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते एवं Turnover प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम.........................

पद नाम :...............

आवेदनकर्ता का नाम

## आवेदको/प्रस्तावको हेतु चैक लिस्ट

आवेदको/प्रस्तावकों को निम्न प्रारूप के आधार पर अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा

| क्र. स. | संलग्नक का विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1 | चैक लिस्ट प्रपत्र | |
| 2 | आवेदन पत्र (अनुलग्नक–1) | |
| 3 | आवेदन शुल्क (रु0 2,000.00 का डिमांड ड्राफ्ट) | |
| 4 | रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र | |
| 5 | टर्न ओवर प्रमाण पत्र (अनुलग्नक–2) | |
| 6 | पंजीकृत कार्यालय हेतु स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र | |
| 7 | EOI Document हस्ताक्षरित व मोहर सहित | |